बिहार राज्य भंडार निगम

बी–2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना–1

ई–निविदा आमंत्रण सूचना संख्या :– 02/2018–19

1.. विज्ञापानदाता का पदनाम एवं पता : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना

2. निविदा आमंत्रण की तिथि : दिनांक 07.09.2018

3. निविदा कागजता प्राप्ति (डाउनलोड करने) की तिथि एवं समय : दिनांक 17.09.2018 से 27.09.2018 को 03:00 बजे अपराह्न तक

4. निविदा कागजता जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 28.09.2018 को 3:00 बजे अपराह्न तक

5. तकनिकी बीड खोलने की तिथि : दिनांक 01.10.2018 को 04:00 बजे

6. वित्तिय बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 08.10.2018 को 04:00 बजे

7. परिमाण विपत्र की बिक्री स्थान : वेबसाईट (www.eprov.bihar.gov.in)

8. निविदा प्राप्ति का स्थान : वेबसाईट (www.eprov.bihar.gov.in)

9. **कार्य का विवरणी :–**

क्रम	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु. में)	अग्रधन की राशि (रु. में)	बेल्ट्रॉन को देय राशि (रु. में)	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)
1	मोतीहारी अवस्थित गोदाम के सड़क के जिर्णोधार का कार्य	41,35,170.00	5000.00	82,800.00	1180.00	तीन माह

निविदा केवल ई–निविदा पद्वति के अनुसार वेबसाईट (www.eprov.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जायेगा। ई–निविदा से संबंधित जानकारी अभियंत्रण शाखा, बिहार राज्य भंडार निगम,बी–2, द्वितीय तल्ला, मौर्या लोक परिसर, पटना दूरभाष संख्या 0612–22225324. से प्राप्त किया जा सकता है।
विस्तृत जानकारी के लिये निगम के वेबसाईट www.bswc.co.in पर देखा जा सकता है।

10. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो अथवा अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर के हो, निविदा में भाग ले सकते है। चयनित एजेन्सी को कार्य आवंटन के पश्चात बिहार राज्य भंडार निगम के समूचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

11. ई–निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्युरमेन्ट, हेल्प डेस्क, प्रथम तल, प्लॉट नं–एम/22,रोड नं–25, श्री कृष्णनगर, बैंक ऑफ कम्पाउन्ड,पटना–800001, फोन–0612–2523006 मो. –9939035696 से प्राप्त किया जा सकता है।

12. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदको को ई–प्रोक्युरमेन्ट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदक को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID Password, DSC एवं इन्टरनेट के माध्यम से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेगें।

Scanned by CamScanner

13. **निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक निर्देशः**

ई–निविदा पत्र www.eprov.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाईट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरान्त वेबसाईट पर ही ईलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है। सभी महत्वपूर्ण कागजात/ निबंधन प्रमाण–पत्र/अद्यतन लेबर लाईसेंस/औपबंधिक/स्थायी जी.एस.टी./अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र/पैन कार्ड/ अद्वतन आयकर रिर्टन साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोशियेशन/डिमान्ड ड्राफ्ट। निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण–पत्रों की पठनीय स्व–अभिप्रमाणित फोटो देना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। इन कागजातों को हस्ताक्षर के उपरान्त स्कैन करके ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। अपलोड सभी कागजात सही है इस आशय का शपथ–पत्र मूल में देना अनिवार्य है, जो निविदा आमंत्रण की तिथि के पश्चात का हो, इसके अभाव में समर्पित निविदा अमान्य समझी जायेगी।

14. अग्रधन की राशि यथा–बैंक ड्राफ्ट आदि उपरोक्त कंडिका संख्या– 4 में अंकित तिथि तक बना हुआ ही स्वीकार किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट अनुसूचित बैंकों का जो बिहार स्टेटवेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, देय पटना के नाम से प्रतिज्ञिप्त हो स्वीकार किये जायेगें। ई–निविदा से संबंधित कार्यो के परिमाण–विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि ही मूल रूप में मुख्यालय के लेखा शाखा कार्यालय में उपरोक्त अंकित तिथि के अपराहन् 3:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। शेष किसी कागजात को स्वीकार नही किया जायेगा।

15. अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहां व्यवसाय चल रहा है, व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये गये कार्यों, प्रगतिशील कार्यों का कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है। पार्टनशीप एवं कंपनी के मामले में क्रमशः प्राईम पार्टनर एवं प्रबंध निदेशक का आचरण प्रमाण–पत्र आवश्यक है।

16. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी अनुसूचित बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो बिहार राज्य भंडार निगम, पटना में भुगतेय हो, दिया जाना होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।

17. जो संवेदक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो अथवा जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य समयावधि के बाद भी लम्बित रहा हो या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किये हैं या कार्य प्रारंभ नहीं किये हैं, वे निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे एवं उनकी निविदा अमान्य समझी जाएगी।

18. प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि देय होगी।

19. संवेदकों या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति को ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।

20. निविदादाताओं को आवंटित कार्य से संबंधित मुख्य निर्माण सामग्रियों (सीमेन्ट, ईंट, लोहा, बालू, स्टोन मेटल/स्टोन चिप्स, पेवर ब्लॉक आदि) का गुण नियंत्रण द्वारा जांचोपरान्त समर्पित प्रतिवेदन भी दिया जाना आवश्यक होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।

21. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्रय करने के पहले कार्य स्थल, प्राक्कलन क्वायरी की स्थिति एवं निर्माण सामग्रीयों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

22. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।

Scanned by CamScanner

23. संवेदक के द्वारा विविध कार्यों के लिए एकरारनामा लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर किया पर किया जाएगा तथा पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं0 ए0–21 नियम 08 / 92–613 (ए) दिनांक 18.11.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 की कंडिका सं0 23 को विलोपित माना जायेगा।

24. निगम के प्रबंध निदेशक को बिना कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी कार्य को किन्हीं अंश/अंशों का रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

25. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के समय एक समयबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट के आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात् कार्य के तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करनी होगी तथा इससे संबंधित फोटोग्राफी/सी0 डी0 संबंधित कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता को समर्पित करनी होगी जो उन फोटोग्राफी/सी0डी0 की जांचोपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उन्हें निगम के कार्यपालक अभियंता को समर्पित करेंगे।

26. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण–पत्र में अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण–पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस संवेदक की वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण–पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायेगी।

27. निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ–साथ 3 वर्षों के लिए सभी असैनिक कार्यों के रख–रखाव करने का प्रावधान होगा ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के बाद निम्न प्रकार से वापस की जायेगी–

(क) कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 5 प्रतिशत।

(ख) कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष के उपरान्त 1.5 प्रतिशत।

(ग) कार्य पूर्ण होने के 2 वर्ष के उपरान्त 1.5 प्रतिशत।

(घ) कार्य पूर्ण होने के 3 वर्ष के उपरान्त 2 प्रतिशत।

28. सशर्त्त निविदा मान्य नहीं होगी।

29. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 10 (दस) प्रतिशत से अधिक कम दर की निविदा अमान्य होगी।

30. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है।

31. निगम के प्रबंध निदेशक को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदादाताओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दें, जिसके लिए दावा मान्य नहीं होगा।

32. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

33. निविदाकार द्वारा समर्पित किये जाने वाले सभी प्रमाण–पत्र एवं कागजात उनके द्वारा स्वहस्ताक्षरित होना आवश्यक है, अन्यथा जिस कागजात पर उनका स्वहस्ताक्षर नहीं होगा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

34. निविदा से संबंधित कोई भी सूचना कार्यालय अवधि में निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य भंडार निगम, पटना

Scanned by CamScanner